न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

नाथूलाल पिता स्वर्गीय दयालाल जी ब्राहमण, निवासी ग्राम आमली, सेगडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय सुखलाल जी ब्राहमण, निवासी ग्राम आमली, सेगडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल मकान नंबर 30 – 24, जगन्नाथपुरी, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
2. मोहनलाल पिता स्वर्गीय देवकिशन जी जाट, निवासी जैवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर।
5. पटवारी, पटवार हल्का आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 28.02.2019 प्र.सं. 21 / 13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ओमप्रकाश डागलिया अभि.रे.सं. 1. 2
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 20–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि राजस्व ग्राम आमली में आराजी नंबर 2159/1630 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं। उक्त आराजियात पैत्रृक होकर आपसी भाई बंटवारे में वादी के पिता दयालाल को प्राप्त हुई, जिस पर वह अपने पिता के समय से 70–80 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु भंवरलाल बड़ा लड़का होने से भंवरलाल के नाम दर्ज हो गयी एवं भंवरलाल की मृत्यु होने पर शंकरलाल प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रेता के नाम दर्ज हो गयी, जबकि कब्जा आज भी वादी का 70–80 वर्षो से चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 28–02–2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ओम प्रकाश डागलिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी/अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इनका सही विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के कथनों के आधार पर पूरी तनकियात कायम नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां विरचित कर प्रत्येक तनकी पर अपनी अलग–अलग विस्तृत फाईडिंग दी है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की हैं तथा प्रत्येक तनकी पर अपनी स्पष्ट फाईडिंग देते हुए वादीगण का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं होने से खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है, जबकि अपीलान्ट/वादी का वाद मुख्यतया प्रतिकूल कब्जे पर आधारित है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

नाथूलाल पिता स्व.दयालाल ब्राहमण निवासी ग्राम आमली, सेगडिया, तह. मावली, जिला उदयपुर बनाम **मोहनलाल पिता स्व.सुखलाल ब्राहमण निवासी ग्राम आमली, सेगडिया, हाल मकान नंबर 30 – 24, जगन्नाथपुरी, इन्दौर (म.प्र.) व अन्य**

अपील नं.....**13 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....28**.....माह.....**02**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मन्नाराम डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री ओमप्रकाश डागलिया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:39:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: